**न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती**
**मूलवाद सं0 202/2015**
**अशफाक अहमद बनाम शकीला बानो**

**16.03.2018**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 58क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 58क2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादिनी प्रथम वर्ग अपने कुछ सहयोगियों के बल पर बावजूद स्थगन आदेश विवादित भूमि च,छ,ख,ग में जानिब पूरब तरफ लगभग 9 फिट चौड़ाई में उत्तर दक्षिण लम्बाई में बुनियाद खोदकर जमीन बराबर नींव भर लिया तथ अपने मकान को वादी की जमीन में बढ़ाकर दीवाल बनाकर टीन शेड रख लिया तथा उसके उत्तर दीवाल खड़ा करके लैट्रिन का निर्माण कर लिया, जिसके संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 13.08.2015 को न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, लेकिन तब तक निर्माण कार्य हो चुका था। तब हम वादी ने प्रतिवादिनी सं0 1 के विरूद्ध कन्टेम्प्ट प्रकीर्ण वाद सं0 52/2015 श्रीमान जी के न्यायालय में दाखिल किया है, जो विचाराधीन है, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादिनी निर्माण ध्वस्त करके जमीन खाली करने की बात करने लगी, किन्तु अब उसने अवैध निर्माण हटाकर वादीगण को कब्जा देने से इन्कार कर दिया। इसलिए वादपत्र में उसके ध्वस्तीकरण एवं कब्जा दखल के संबंध में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि दरख्वास्त संशोधन से केस की प्रकृति बदल रही है। प्रतिवादिनी का निर्माण हरगिज दावा दाखिला के बाद का नहीं है, बल्कि पुराना निर्माण है, जिसको वादी निरन्तर देखते चले आये और पुराने निर्माण के संबंध में ध्वस्तीकरण का उपचार मेन्टेनेबुल नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि वादी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र, दौरान मुकदमा प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि में किए गए कथित अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण एवं कब्जा दखल के बाबत आवश्यक अभिवचन वादपत्र में समावेशित किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, न ही कोई नया केस सेट अप हो रहा है, बल्कि संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद बहुलता कम होगी। अतः प्रतिवादी द्वारा उठायी गयी आपत्ति के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 58क2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है। उल्लेखनीय है कि संशोधन प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का समावेश वादपत्र में, संशोधन प्रार्थनापत्र के दिए जाने की तिथि से माना जाएगा।

**आदेश**

प्रार्थनापत्र 58क2 मु0 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 30.04.2018 को पेश हो। टी0आई0 नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती